उत्तर प्रदेश शासन,
विकलांग कल्याण अनुभाग'3
संख्या-14/डी0एस0-10/65-3-2014-04(वि0वि0)/2012
लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी,2014

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उ0प्र0 अधिनियम 2009 (वर्तमान नाम- उत्तर प्रदेश विकलांग उद्वार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ) की धारा-9 (1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय के साामान्य परिषद का गठन निम्नांनुसार किया जाता है:-

पदेन सदस्य

1	मुख्यमंत्री ,उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	मंत्री, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
3	अध्यक्ष, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान,लखनऊ	सदस्य
4	सचिव, विकलांग कल्याण विभाग उ0प्र0 सरकार।	सदस्य
5	सचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 सरकार।	सदस्य
6	सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार।	सदस्य
7	सचिव,व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 सरकार।	सदस्य
8	सचिव,वित्त,उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
9	आयुक्त,विकलांग जन, उत्तर प्रदेश सरकार.	सदस्य
10	विश्वविद्यालय का कुलपति।	सदस्य सचिव
11	निदेशक,राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती।	सदस्य
12	निदेशक, राष्ट्रीय श्रवणबाधितार्थ संस्थान,भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती।	सदस्य
13	निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक मन्दितार्थ संस्थान,भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती।	सदस्य
14	निदेशक, राष्ट्रीय अस्थिवाधितार्थ संस्थान,भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती।	सदस्य
15-	अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद अथवा उनका नाम निर्देशिती।	सदस्य

<u>नामनिर्दिष्ट सदस्य</u>

16	उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
17	विकलांगता के क्षेत्र कार्य कर चुके या कार्यरत 04 प्रख्यात व्यक्ति जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
18-	अध्यक्ष, सामान्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्रख्यात व्यक्ति।	सदस्य

2- उपर्युक्त अधिनियम की धारा-9(2) के अनुसार मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सामान्य पदिषद के अध्यक्ष होगें एवं विश्वविद्यालय के कुलपति सामान्य परिषद के सचिव होगें।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के सामान्य परिषद की बैठकों आदि का आयोजन विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जायेगा तथा सामान्य परिषद की कार्य एवं शक्तियां उक्त अधिनियम की धारा (11)एवं (12) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार होगी।

मनोज कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/डी0एस0-10(1)/65-3-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री उ0प्र0।
3- कुलपति,उ0प्र0, विकलांग उद्वार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ।
4- समस्त सम्मानित सदस्यगण।
5- निदेशक, विकलांग कल्याण,उत्तर प्रदेश।
6- कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 विकलांग उद्वार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राधे कृष्ण)
अनु सचिव।